संचिका सं0–7 / MCH -35-07/2025-........06(7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 09/01/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 12,00,000/– (रूपये बारह लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1017(1), दिनांक–28.08.2017 एवं संकल्प संख्या–877(1), दिनांक–27.09.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 12,00,000/– (रूपये बारह लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0009–भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0009 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/MCH -35-07/2025 के पृष्ठ–11/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

9.1.26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

Alpana

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-07/2025-06 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 09/01/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.1.26

सरकार के अपर सचिव

Aipana